

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक:प.8(क)(या)()डीएलबी/18/3897-3930 जयपुर,दिनांक: 4.5.2018

जिला कलक्टर,
समस्त राजस्थान।

विषय: रिट पिटीशन संख्या 12790/2010 प्लास्टिक मैनुफेक्चर्स एसोसिएशन
बनाम राज्य सरकार व अन्य।

उपरोक्त विषय वर्णित रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय जयपुर बैंच के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 2.5.2018 को नियत थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबन्धित पोलीथिन कैरीबेग के प्रयोग के विरुद्ध स्थानीय निकायों द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं करने के लिए अप्रसन्नता जाहिर करते हुए निर्देशित किया है कि समस्त जिला कलक्टर एवं समस्त मुख्य नगर पालिक अधिकारी 10 दिवस में अर्थात् दिनांक 11 मई 2018 से पूर्व अपना शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके द्वारा इस संबंध में क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है। शपथ-पत्र व्यक्तिशः प्रस्तुत किया जायेगा।

यह उल्लेखनीय है कि एन्वायरमेन्ट (प्रोटेक्शन) एक्ट की धारा 5 के तहत दिनांक 21.7.2010 को यह नोटीफिकेशन जारी किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसमें स्ट्रीट वेन्डर, होल-सेलर, रिटेलर, ट्रेडर, हॉकर एवं रेहड़ी वाले इत्यादि सम्मिलित है, पोलीथिन/प्लास्टिक कैरीबेग का दिनांक 1.8.2010 के पश्चात् राजस्थान राज्य में उत्पादन/भण्डारण/आयात/बिक्री और परिवहन नहीं करेंगे। उक्त नोटीफिकेशन की पालना सभी स्थानीय निकायों द्वारा करते हुए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जानी थी।

अतः इस संबंध में निर्देशानुसार निर्देशित किया जाता है कि समस्त जिला कलक्टर अपने-2 जिलों में उपरोक्त क्रम में की गई कार्यवाही एवं समस्त उप निदेशक क्षेत्रीय अपने क्षेत्र से संबंधित सभी नगर पालिकाओं के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों द्वारा उक्त नोटीफिकेशन की अनुपालना में की गई कार्यवाही का विवरण प्राप्त कर उपरोक्तानुसार शपथ-पत्र श्री एस.के. गुप्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए निर्धारित तिथि से पूर्व पालना सुनिश्चित की जावे।

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:प.8(क)(या)()डीएलबी/18/3931-4133 दिनांक: 4.5.2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0जयपुर
2. श्री एस.के.गुप्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर
3. सचिव, पर्यावरण विभाग, शासन सचिवालय जयपुर
4. उप-निदेशक(क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
5. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर
6. श्री टी.एस.रानावत, वरिष्ठ पर्यावरण अधिकारी, जयपुर
7. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाली अधिकारी, समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाएं राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि अविलम्ब संबंधित उप निदेशक क्षेत्रीय से सम्पर्क कर शपथ-पत्र प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

(अशोक कुमार सिंह)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी